भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2230

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मंदिर

2230. श्री लुम्बाराम चौधरी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में कार्यरत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के लिए आवंटित, जारी और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को और सुदृढ़ करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने देश भर में मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके संचालित करने के लिए कुल 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] को मंजूरी दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एएएम (आयुष) का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान एएएम (आयुष) के संचालन सहित एसएएपी की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की गई कुल धनराशि का विवरण, व्यय के साथ, **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय मौजूदा दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार एएएम (आयुष) के सुचारू कामकाज के लिए आवर्ती गतिविधियों जैसे मानव-शक्ति पारिश्रमिक और प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रयोगशाला सेवाएं, आईटी-नेटवर्किंग, आईईसी, औषधीय पादपों का प्रचार और आकस्मिकता के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का समर्थन कर रहा है, जो केंद्रीय बजट के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जारी रहेगा।

संलग्नक-I

देश भर में एनएएम के तहत, एएएम (आयुष) के संचालन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	अनुमोदित और कार्यशील एएएम (आयुष) की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6
2	आंध्र प्रदेश	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89
4	असम	500
5	बिहार	294
6	चंडीगढ़	12
7	छत्तीसगढ़	400
8	दिल्ली	0
9	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	1
10	गोवा	100
11	गुजरात	365
12	हरियाणा	538
13	हिमाचल प्रदेश	761
14	जम्मू-कश्मीर	523
15	झारखंड	745
16	कर्नाटक	376
17	केरल	700
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	7
20	मध्य प्रदेश	800
21	महाराष्ट्र	390
22	मणिपुर	15
23	मेघालय	24
24	मिजोरम	41
25	नागालैंड	49
26	ओडिशा	422
27	पुडुचेरी	4
28	पंजाब	158
29	राजस्थान	2019
30	सिक्किम	18
31	तमिलनाडु	650
32	तेलंगाना	421
33	त्रिपुरा	72
34	उत्तर प्रदेश	1034
35	उत्तराखंड	300
36	पश्चिम बंगाल	540
कुल		**12500**

संलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान एएएम (आयुष) के संचालन सहित एनएएम के तहत जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		आवंटित/ जारी (केंद्रीय हिस्सा)	उपयोग/ व्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)	आवंटित/ जारी (केंद्रीय हिस्सा)	उपयोग/ व्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)	आवंटित/ जारी (केंद्रीय हिस्सा)	उपयोग/ व्यय (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	407.29	407.29	542.75	525.43	237.35	236.82
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2497.19	2497.19	2182.31	2182.11
3	अरुणाचल प्रदेश	1186.04	1186.04	1498.84	1498.84	3374.07	3374.08
4	असम	3471.45	3471.45	6511.87	6511.87	5710.66	5710.67
5	बिहार	1161.06	758.11	0.00	0.00	222.28	222.28
6	चंडीगढ़	226.32	224.75	447.58	420.90	284.75	89.57
7	छत्तीसगढ़	2151.43	1894.01	3194.06	2716.19	2321.06	2321.06
8	दादरा व नागर हवेली और	408.45	408.45	690.73	690.73	1181.89	1116.46
	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
9	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	144.79	144.79
10	गोवा	628.30	628.30	610.67	610.67	803.33	803.33
11	गुजरात	2961.42	2011.53	2623.10	1409.87	2643.61	2643.42
12	हरियाणा	3026.59	3026.59	1371.90	1371.90	1007.34	1007.34
13	हिमाचल प्रदेश	3659.22	3659.22	2899.09	2899.09	3216.75	3216.75
14	जम्मू-कश्मीर	7510.36	7510.36	4361.60	4361.60	2666.12	2653.65
15	झारखंड	2390.42	2390.42	3217.06	3217.06	1506.84	1506.85
16	कर्नाटक	5031.54	5031.54	6067.28	6067.28	2422.58	2422.58
17	केरल	7989.40	7989.40	11037.96	11037.96	4847.69	4847.70
18	लद्दाख	47.32	47.32	190.29	190.29	207.78	36.92
19	लक्षद्वीप	332.01	332.01	220.48	220.48	146.08	114.37
20	मध्य प्रदेश	6120.00	6120.00	8169.59	8169.59	6702.25	6702.26
21	महाराष्ट्र	2235.54	1959.92	2681.16	1210.94	2023.76	0.00
22	मणिपुर	0.00	0.00	1276.67	1276.67	237.94	237.94
23	मिजोरम	1057.86	1057.86	1101.48	1101.48	1585.76	1585.76
24	मेघालय	1722.60	1722.60	1520.48	1520.48	1457.04	1457.04
25	नागालैंड	1016.97	1016.97	1342.11	1342.11	812.92	812.93
se	ओडिशा	0.00	0.00	2369.21	2369.21	862.30	862.30
27	पुडुचेरी	197.08	179.21	683.40	325.71	174.08	174.09
28	पंजाब	109.85	109.85	1701.10	1701.10	304.83	304.83
29	राजस्थान	3731.51	3724.81	15051.80	15003.67	9216.65	9216.65

	सिक्किम	492.37	492.37	434.78	434.78	859.16	859.16
31	तमिलनाडु	6635.76	6635.76	7380.32	7380.32	2303.49	2303.49
32	तेलंगाना	1225.17	1225.17	2491.38	2491.38	2575.45	2575.46
33	त्रिपुरा	566.99	566.99	815.77	815.77	413.78	413.50
34	उत्तर प्रदेश	12418.60	12418.60	13903.18	13893.18	2414.63	2414.64
35	उत्तराखंड	3234.38	3234.38	2441.12	2441.12	5409.49	5409.25
36	पश्चिम बंगाल	3379.39	3339.22	2308.43	1374.88	1135.40	1135.35
	कुल	**86732.66**	**84780.49**	**113654.42**	**109099.72**	**73616.37**	**71115.41**